Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

राष्ट्रीय आन्दोलन में स्वराज्य दल के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Mr. Lalitmohan*

Lecturer in History, Government Senior Secondary School, Bajana, Khurd, Sonipat

शोध आलेख:- 1922 में चौरी-चौरा की घटना के पश्चात् महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया। इसमें कांग्रेसी नेताओं में निराशा एवं क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से राष्ट्रवादियों में भी फूट पड़ गई और कांग्रेस का संगठन टूटने लगा। 1922 में सी. आर. और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कांग्रेस से अलग स्वराज्य दल गठित कर लिया और स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया। प्रो. विपिन चन्द्र ने भी लिखा है, "इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आन्दोलनकारी विद्‌यान परिषदों का बहिष्कार करें। इन परिषदों का सदस्य बनकर वे पाखण्डी संसद का पर्दाफाश करें, परिषदों के सभी कमों में रूकावट डालकर नौकरशाही के इस नकाब को उखाड़ दें। इनका तर्क था कि यह युक्ति असहयोग आन्दोलन का परित्याग नहीं बल्कि उसे और प्रीत्तावी बनाने की रणनीति है। यह संघर्ष में एक नया मोर्चा साबित होगा।"

मुख्य शब्द:- विदेश नीति, राजनय, गुटनिरपेक्षता, कश्मीर समस्या, डोकलाम विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, परमाणु परीक्षण।

---------------------------------x---------------------------------

शोध प्रविधि:-

इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए आंकड़े/तथ्य द्‌वितीयक स्त्रोतों से जुटाए गए हैं। इस शोध पत्र में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तर्क प्रस्तुत किए हैं जो शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा ज्ञान से प्राप्त किए है। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

स्वराज्य पार्टी के निर्माण की परिस्थितियाँ-

स्वराज्य दल की स्थापना की परिस्थितियाँ अथवा कारण इस प्रकार थे-

(1) भारत की राजनीतिक स्थितिः-

1922-23 में भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत दयनीय थी। देश में चारों और अफरा-तफरी का माहोल था। जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया। इस आन्दोलन में देश के लाखों नर-नारियों और बच्चों ने भाग लिया। सरकार ने आन्दोलनकारियों के विरूद्ध दमनकारी नीति का पालन किया, जिससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया। इसके अलावा 1919 के अधिनियम के द्‌वारा प्रान्तों में द्‌वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई जिससे देश में और अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अब सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने कांग्रेस से नाराज होकर अलग दल बनाने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि कांग्रेस न तो राष्ट्रीय आन्दोलन को सही प्रकार से चला पाई और न ही भारतीयों को स्वराज्य दिला पाई।

(2) असहयोग आन्दोलन की समाप्तिः-

माहत्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन को अहिंसात्मक तरीकों से चलाने का आह्वान किया था। परन्तु 1922 ई. तक यह आन्दोलन हिंसात्मक हो या। 1922 ई. में एक उग्र भीड़ ने पुलिस की दमनकारी नीति के विरोध में चैरी-चैरी नामक स्थान पर एक पुलिस चैकी को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गये। जैसे ही गांधी जी को इस घटना के बारे में सूचना मिली उन्होंने असहयोग आन्दोलन को वापिस लेने की घोषणा कर दी। इससे सी. आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू जैसे कांग्रेसियों को बहु दुःख हुआ। परिणामस्वरूप उन्होंने

www.ignited.in

कांग्रेस से अलग होकर स्वराज्य दल बनाने का निर्णय ले लिया।

(3) लोगों के मनोबल का पतनः-

जिस समय असहयोग आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर प्रचलित था उसी समय गांधी जी ने इसको वापिस लेने की घोषणा कर दी। इससे आन्दोलनकारियों के उत्साह पर बहुत असर पड़ा। दूसरी ओर मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों का मनोबल पूरी तरह से टूट गया। परिणामस्वरूप बंगाल में सी. आर. और उत्तरी भारत में मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के निर्णय का विरोध किया और उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को जारी रखने का निर्णय लिया।

(4) सरकार की नीतिः-

असहयोग आन्दोलन के विरूद्ध सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। अंग्रेजों ने आन्दोलनकारियों पर लाठियां बरसाईं और गोलियों की बोछार की। अनेकों आन्दोलनकारियों को पकड़ कर जेलों में डाल दिया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जैसे अनेक बड़े-बड़े नेताओं को भी सरकार ने जेलों में डाल दिया। परिणामस्वरूप सरकार की दमनकारी नीति से आम जनता में आक्रोश की लहर उत्पन्न हो गई।

(5) अन्य कारणः-

उपर्युक्त कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी जिनके कारण 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना हुई-

1. 22 अगस्त, 1922 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्डय जार्ज ने ब्रिटिश संसद में भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारतीय सार्वजनिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सेवाएं भविष्य में भी भारत के प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। जबकि भारतीय प्रशासन में लगातार परिवर्तन की मांग कर रहे थे। वे भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिलाने के पक्ष में थे। परन्तु अंग्रेजों ने प्रतिकूल रवैये के चलते सी. आर. दास जैसे नेताओं ने स्वराज्य दल गठित करने का निर्णय ले लिय।

2. अंग्रेज अफ्रीकी उपनिवेश में भारतीयों पर अत्याचार करते थे। अतः भारतीयों ने अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध करने के लिए स्वराज्य पार्टी का गठन किया।

3. खिलाफत आन्दोलन की असफलता के पश्चात् हिन्दुओं और मुसलमानों में अनबन हो गई। मुसलमानों ने गांधी जी की अहिंसा की नीति पर चलने से इन्कार कर दिया। गांधी जी के कट्टर अनुयायी मुहम्मद ने भी उनका साथ छोड़ दिया और साम्प्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप स्वराज्य दल ने राष्ट्रीय आन्दोलन को अत्यधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया।

स्वराज्य दल का गठन

असहयोग आन्दोलन वापिस लेने की चारों ओर तीखी प्रतिक्रिया हुई। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी कहा था, "के स्थगित करने पर बैठक में विभिन्न नेताओं में इतना बाद-विवाद हुआ कि आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है यदि ये नेता उस समय जेल से बाहर होते तो वे गांधी जी के नेतृत्व को ललकारते और असहयोग आन्दोलन को जारी रखते। इस प्रकार कांग्रेस में इस समय दो गुट बन रहे थे। श्री राजगोपालाचारी, डॉ. अन्सारी, जमनालाल, बिट्ठल भाई पटेल आदि नेता रूढ़िवादी थे और वे कौंसिलों में भाग लेने के विरोधी थे जबकि दूसरी और परिवर्तनशील गुट था जिसमें देशबन्धु दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खाँ, सी. आर. दास जैसे नेता थे जो कौंसिलों भाग लेकर सरकार की कार्यवाहियों में बाधा डालना चाहते थे।

1922 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। सी. आर. दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अधिवेशन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेकर कौंसिलों में प्रवेश करना चाहिये। पं. मोतीलाल नेहरू ने उनके इस विचार का समर्थन किया। वे ऐसा करके सरकार का विरोध करना चाहते थे, जिससे सरकार परेशान हो जाये और भारतीयों को स्वराज्य प्रदान कर दे। परन्तु उनकी संख्या कम थी, जिससे उसका प्रस्ताव कांग्रेस में पास नहीं हो सका। अतः चिंतरजन दास ने सभापतित्व और पं. मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के महामंत्री पर से इस्तीफा दे दिया।

कांगेस से त्याग-पत्र देने के पश्चात् सी. आर. और मोतीलाल नेहरू तथा अन्य कांग्रेसियों ने। जनवरी, 1923 को 'स्वराज्य दल' गठित कर लिया। स्वराजयवादियों का प्रथम अधिवेशन फरवरी 1923 में इलाहाबाद में बुलाया गया जिसमें अनेक स्वराज्यवादियों ने भाग लिया। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि, "जिन कांग्रेसियोयं को कौंसिल प्रवेश के विरूद्ध धार्मिक या और किसी प्रकार की आपत्ति न हो उन्हें आगामी चुनावों में खड़े होने और अपनी राय देने के किसी अधिकार का उपरोग करने की पूरी स्वतन्त्रता है। इसलिए कौंसिल में प्रवेश के विरूद्ध सारा प्रचार बन्द किया जाता है।"

www.ignited.in

इसमें यह भी कहा गया कि रचनात्मक कार्यक्रम को पूर्ण करने में दोगुनी शक्ति से काम लेना चाहिये। इसी समय स्वराज्य दल के अध्यक्ष सी. आर. दास बने। मोतीलाल नेहरू को स्वराजय दल का महामन्त्री बनाया गया। 1923 में सितम्बर के महीने में मौलाना आजाद के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें न केवल दोनों दलों में समझौते के प्रयास किये गये बल्कि में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसमें न केवल दोनों दलों में समझौते के प्रयास किये गये बल्कि कौंसिलों में प्रवेश करना भी स्वीकार कर लिया गया। फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। वे स्वराज्य दल से सहमत नहीं थे। परन्तु उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वराज्य दल को अपना कार्यक्रम जारी रखने की छूट दे दी। उन्होंने कांग्रेस एवं स्वराज्य दल के बीच समझौता भी करवा दिया। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा, “हमारे बीच में वास्तविक और मौलिक भेद है।” फिर भी “मैं स्वराज्यवादियों के मार्ग में अवरोध अथवा उनके विरूद्ध प्रचार में भाग नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी योजना को मैं सक्रिय सहायता नहीं कर सकता जिसमें मुझे स्वयं विश्वास न हो।” इस प्रकार उन्होंने स्वराज्यवादियों के रचनात्मक कार्यों को स्वीकार कर लिया।

स्वराज्य दल के उद्देश्यः-

स्वराज्यवादी गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। उनके उद्देश्य भी समान थे परन्तु दोनों (कांग्रेस एवं स्वराज्य दल) के साधनों में बहुत अन्तर था। इसके साधनों के विषय में अन्तर बतलाते हुए डॉ. वीरकेश्वर प्रसाद सिंह ने लिखा है, “स्वराज्यवादी गांधी जी के असहयोग आन्दोलन में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि असहयोग की नीति को अपनाया जाये, लेकिन कौंसिल में प्रवेश कर क्रियान्वित किया जाये। कौंसिल में प्रवेश कर के ही असहयोग को सफल बनाया जा सकता है तथा स्वराज्य की प्राप्ति की जा सकती है। कौंसिल के अन्दर सहयोग का अर्थ था कि भारतीय निर्वाचन में भाग लें और अधिक से अधिक संख्या में निर्वाचित होकर कौंसिल में आवें, और सरकार की नीति का घोर विरोध कर उसके कार्यों में उड़ंगा लगावें जिससे सरकार के कार्य में बाधा पडे और उसे अपनी नीति में परिवर्तन लाने के लिए आध्य होना पड़े।” अर्थात् स्वराज्यवादियों का लक्ष्य कौंसिल में प्रवेश कर सरकार के कार्य में अड़ंगा लगाना और अन्दर से उसे नष्ट करना था। ‘अड़ंगा’ शब्द के अर्थ के बारे में उनका कहना था कि, “हमने अपने कार्यक्रम में ‘अड़ंगा’ शब्द के अर्थ के बारे में उनका कहना था कि, “हमने अपने कार्यक्रम में ‘अड़ंगा’ शब्द का जो व्यवहार किया है वह ब्रिटेन की संसद के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं। मातहत और सीमित अधिकारों वाली कौंसिल में उस अर्थ का अड़ंगा डालना असंभव है क्योंकि सुधार कानून के अन्तर्गत असेम्बली और कौंसिल के अधिकार बहुत सीमति हैं। पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा विचार अड़ंगा डालने की अपेक्षा स्वराज्य के मार्ग में नौकरशाही द्वारा डाली गई रूकावटों का मुकाबला करना अधिक है।”

स्वराज्य पार्टी के उद्देश्यों के विषय में 1925 में बंगाल की विधान सभा में सी. आर. दास. ने कहा, “यह कहा गया कि हमारा नारा है नष्ट करों......... हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं, जो हमारे लिए हितकार नहीं है और न हो सकती है। हम उसे इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम ऐसी पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके और सार्वजनिक हित से सहायता पहुंचाये।”

स्वराज्य दल के उद्देश्य एवं कार्यक्रम इस प्रकार थे-

(i) स्वराज्य प्राप्त करना।

(ii) अंग्रेजों द्वारा स्थापित परिपाटियों का अन्त करना।

(iii) सरकारी बजट को रद्द करना।

(iv) सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना या अस्वीकृत करना जिनके द्वारा नौकरशाही शक्तिशाली बनने का प्रयास करती है।

(v) कौंसिल में प्रवेश कर असहयोग की नीति को अपनाना और असहयोग आन्दोलन को सफल बनाना।

(vi) कौंसिल के बाहर गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग देना।

(vii) सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना ताकि सरकार अपनी नीति को बदलने के लिए मजबूर हो सके।

(viii) नौकरशाही को रास्ते पर लोने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ करने, यदि फिर भी वह रास्त पर न आये तो कौंसिलों से त्याग-पत्र देकर सत्याग्रह करना।

(ix) अपने कार्यक्रमों को प्रभावशाली बनाने के लिए उन सभी स्थानों पर अधिकार करना जिन पर कौंसिल के

सदस्य होने के नाते अधिकार करने में सफल हो सकते हैं।

स्वराज्य दल की सफलताएँ-

स्वराज्य दल ने अनेक सफलताएँ प्राप्त की जिनका वर्णन इस प्रकार है-

1919 के अधिनियम के अन्तर्गत हुए 1923 के चुनावों में स्वराज्य दल ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस दल को मध्य प्रदेश एवं बंगाल में आशातीत सफलता मिली। अन्य प्रान्तों में भी यह दल सबसे बड़े दल के तौर पर उभरा। परन्तु की कमी के चलते यह ठोस एवं नियमित विरोध नहीं कर सका। मध्य प्रदेश और बंगाल में इस दल ने सरकार का जोरदार विरोध किया और द्वैध शासन को पूरी तरह से निष्क्रिय बना दिया। इन प्रान्तों में मंत्रिमण्डल को निर्माण कठिन हो गया। इस दल के नेता स्वयं अपनी सरकार का निर्माण करना चाहते थे। एच. एन. व्रेल्सफोर्ड ने भी कहा कि, "मेरे विचार से अड़ंगा लगाने की नीति बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने ब्रिटेन के अनुदान दल वालों को भी इस बात का कायल कर दिया कि द्वैध शासन प्रणाली अव्यवहार्य है।" 1925 में चितरंजन दास की अकस्मात् मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप बंगाल में स्वराज्य दल को गहरा धक्का लगा। इसके बावजूद आगामी चुनाव में इस दल ने कौंसिल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। अतः बाध्य होकर गर्वनर को कौंसिल भंग करनी पड़ी।

केन्द्रीय विधान सभा में भी स्वराज्य दल ने बहुत सफलता प्राप्त की इस दल ने 145 स्थानों में से 45 स्थान प्राप्त किये। इन्होंने निर्दलीय सदस्यों की सहायता से सरकार की नीतियों का खूब विरोध किया। एक बार तो उन्होंने सरकार को भी पराजित कर दिया। इन्होंने अनेक बार असेम्बली वाक्आउट किया। इन्होंने गवर्नर जनरल द्वारा आयोजित भोजों एवं समारोहों का भी बहिष्कार किया। इन्होंने देश के अन्य भागों में भी ब्रिटिशा नीतियों का विरोध करने के लिए प्रचार किया।

8 फरवरी, 1924 को स्वराज्यवादियों ने पं. मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व मं केन्द्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कराया जो इस प्रकार था, "यह परिषद् सपरिषद् गवर्नर जनरल से आग्रह करती है कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से भारतीय शासन-अधिनियम में देश में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने हेतु संशोधन किये जायें तथा इसके लिए (क) भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधयों का एक गोल मेज सम्मेलन का अयोजन किया जाए जो देश के महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करने तथा (ख) वर्तमान व्यवस्थापिका सभा को भंग करके नव-निर्मित व्यवस्थापिका संभा के सम्मुख योजना प्रस्तुत की जाये तथा उसे बाद में संसद को कानून बनाने के लिए संसद को भेजी जाये।"

नीति में परिवर्तन-

प्रारंभ में स्वराज्य दल ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनायी परन्तु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया। उसने असहयोग के स्थान पर उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग की नीति अपना ली। स्वयं सी. आर. दास ने भी अपने जीवनकाल में महसूस किया कि असहयोग की नीति लाभप्रद नहीं है।

स्वराज्य दल ने 1924 के फरीदपुर सम्मेलन में सरकार से समझौता करने का प्रस्ताव रखा जिसमें निम्न सुझाव दिये गये-

1. सरकार भारतीयों को भी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपे।
2. सरकार भविष्य में भारतीयों को स्वराज्य प्रदान करे।
3. ब्रिटिश सरकार हृदय परिवर्तन और शान्तिपूर्ण समझौतें का वातावरण उत्पन्न करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रयास करे।
4. सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाये।

देशबन्धु दास की मृत्यु के पश्चात् स्वराज्यवादियों ने सरकार को खूब सहयोग दिया। परन्तु कुछ स्वराज्यवादी इस परिवर्तित नीति से प्रसन्न नहीं थे। परिणामस्वरूप स्वराज्य दल में फूट पड़ गई। 1924 में सरकार ने विभिन्न समितियों में स्व-राज्यवादियों को स्थान दिया। उनमें से कुछ को 'इस्पात सुरक्षा समिति' का भी सदस्य बना लिया गया। 1925 में मोतीलाल नेहरू की स्कीन कमेटी का सदस्य बनाया गया, जबकि बी. जे. पाटिल केन्द्रीय व्यवस्थापिका में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसी प्रकार एस. बी. ताम्बे को मध्य प्रदेश लेजिस्टेटिव कौंसिल में जो केन्द्रीय अध्यक्ष थे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। परन्तु अतिशीघ्र ही स्वराज्य दल में मतभेद तीव्र होते चले गये, जिससे इस दल का महत्व समाप्त होता चला गया।

www.ignited.in

स्वराज्य दल के पतन के कारण:-

1926 के चुनावों में स्वराज्य दल को अधिक सफलता नहीं मिली जिससे इस दल का पतन हो गया। इसके पतन के मुख्य कारण इस प्रकार थे-

1. 1924 ई. में इस दल के संस्थापक सी. आर. दास की मृत्यु हो गई जिससे इस दल के सदयों का उत्साह कम हो गया।

2. स्वराज्य दल अपनी सहयोग की नीति से अधिक लोकप्रिय हुआ था परन्तु जब उसने अपनी नीति बदल ली तो उसका राष्ट्रवादी रूप समाप्त होता चला गया।

3. 1926 के चुनावों में इस दल को भारी पराजय का सामना करना पड़ा जिससे इस दल का महत्त्व समाप्त हो गया।

4. इस समय साम्प्रदायिक दंगे आरंभ हो गये जिससे इस दल का पतन हो गया।

5. स्वराज्य दल में आपस में फूट पड़ गई। इसमें एक ऐसा खेमा था जो सरकार को सहयोग देने के पक्ष में नहीं था परिणामस्वरूप आपसी छूट के चलते इस दल का पतन हो गया।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त वर्णन के अधार पर कहा जा सकता है कि असहयोग आन्दोलन की समाप्ति की घोषणा से रूष्ट होकर सी. आर. दास और पं. मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग स्वराज्य दल की स्थापना कर ली। इस दल ने सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। परन्तु जब इस नीति में सफलता नहीं मिली तो स्वराज्यवादियों ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए सहयोग की नीति अपनानी आरंभ कर दी। परिणामस्वरूप इसके सदस्यों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गये जिससे इस दल का पतन हो गया।

सन्दर्भ सूची:

1. रमेशचन्द्र दत्तः इंडिया इन दि विक्टोरियस ए (कीमन पाल, लंदन), पृ0 456-457.

2. रमेश चन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ0 4

3. जोगेशचन्द्र बागल: हिस्ट्री ऑफ़ दी इंडिया एसोसिएशन, कलकत्ता, पृ0 212

4. रमेश चन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ0 13

5. रमेशचन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ0 25

6. डॉ. पट्टाभी सीतारमैया: दि हिस्ट्री ऑफ़ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भाग 1 (पद्मा पब्लिकेशन, बम्बई, 1946), पृ0 41

7. वही, पृ0 40

8. रमेशचन्द्र मजूमदार: हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, पृ0 47

9. हरिदास मुखर्जी और उमा मुखर्जी, ए ऑफ़ दि स्वदेशी मूवमेंट, पृ0 236

10. मजूमदार और मजूमदार: कांग्रेस एण्ड कांग्रेसमैन इन दि प्री-गांधीयन इरा: 1885-1917, पृ0 72

11. इंड विद्यावाचस्पति: भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास (सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1860), पृ0 112

12. स्वाधीनता सेनानी लेख.पत्रकार; गूगल पुस्तक; लेखिका, आशारानी वोरा)

Corresponding Author

Mr. Lalitmohan*

Lecturer in History, Government Senior Secondary School, Bajana, Khurd, Sonipat